

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी० के० तिवारी
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 11-04-18

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम
सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप
शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया
जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	7795.550

कुल आवंटित राशि - रुपये सतहत्तर करोड़ पंचानबे लाख पचपन हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 बजट उपबंध राशि ₹ 11270.27 लाख (एक सौ बारह करोड़ सत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूले)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अध्याचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन Online किया जाय साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसंबर 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

05
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-

05
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूध)
विशेष सचिव

(डी० के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना

पत्रिका.....

11-04-78 का अनुमति

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2018-2019		विरुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुल शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विरुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुल शीर्ष-04-मोटरगाडिगा		विरुल शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	एनएटीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विरुल व्यय	वेतन एवं भत्ते	विरुल	अन्य व्यय	कुल योग	अभिव्यक्ति									
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	मुख्य अति०, अग्रिम योजना, राँची	17.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	18.10											
2	मुख्य अति०ता जलसंसाधन विभाग, देवघर	151.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	152.10											
3	मुख्य अति०ता जलसंसाधन विभाग, राँची	120.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	121.10											
4	मुख्य अति० यांत्रिक, राँची	35.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	36.10											
5	अग्रिम योजना अंचल दुमका	7.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	7.85											
6	अग्रिम योजना अंचल राँची	11.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	11.85											
7	जलसंध अंचल, गुमला	74.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	74.90											
8	जलसंध अंचल, चार्डवासा	113.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	113.90											
9	जलसंध अंचल, दुमका	60.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	60.90											
10	जलसंध अंचल, राँची	174.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	174.90											
11	जलसंध अंचल, हजारीबाग	117.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	117.90											
12	रूपका अग्रयोजना एवं मोनोपिपि अंचल, राँची	116.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	116.90											
13	रूपका अंचल, देवघर	84.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	84.90											
14	सिंचाई अंचल, जसीडीह	138.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	138.90											
15	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	67.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	67.65											
16	सिंचाई अंचल, मधुपुर	86.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	86.90											
17	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	56.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	56.90											
18	सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची	19.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	19.70											
19	अग्रिम योजना प्र० दुमका	32.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20											
20	अग्रिम योजना प्र०, राँची	130.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	130.45											
21	अग्रिम योजना प्र० साहेबगंज	28.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	28.70											

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी०के० विवरण)

क्र.सं	वित्तीय वर्ष 2018-2019	विरुदा शीर्ष-01-वेतन एवं नर्से										विरुदा शीर्ष-02-यात्रा व्यय										विरुदा शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुदा शीर्ष-04-मोटरगाडियां		विरुदा शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
		कर्मालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलएटी0बी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विरुदा व्यय	इंधन एवं	विविध प्रसार	कुल योग	अभिवृत्ति																					
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																						
22	आयोजन गुण नियंत्रण एवं मो0 प्रमंडल, देवर	197.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	197.70																							
23	नंगा पम्प नहर प्रमंडल , साहेबगंज	184.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	184.75																							
24	गुण नियंत्रण प्रमंडल, खैदी	201.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	201.70																							
25	जलपथ प्रमंडल, छुंटी	265.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	265.75																							
26	जलपथ प्रमंडल, गुमला	186.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	186.45																							
27	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर	158.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	158.45																							
28	जलपथ प्रमंडल सं.-2, हजारीबाग	148.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	148.45																							
29	जलपथ प्रमंडल सं.-1, जैनपुर शिखर गुमला	145.60	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05																							
30	जलपथ प्रमंडल सं.-2, जैनपुर गुमला	110.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	110.45																							
31	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	242.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	242.70																							
32	पुनर्वास पदाधिकारी, देवर	67.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40																							
33	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंघाई परियोजना, खैदी	99.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	99.75																							
34	पुनासी बांध प्रमंडल, पुनासी शिखर-देवर	182.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	182.75																							
35	पुनासी स्वीलवे प्रमंडल, पुनासी देवर	245.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	245.45																							
36	रूपकाण प्रमंडल सं.-2, देवर	103.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20																							
37	रूपकाण प्रमंडल सं.-4, देवर	120.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.40																							
38	रूपकाण प्रमंडल सं.-2, खैदी	368.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	368.45																							
39	लघु वितरणी प्रमंडल, कुलडांगल	59.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40																							
40	विशेष मू-अर्जन पदा0, चार्डबासा	153.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	153.75																							
41	विशेष मू-अर्जन पदा0 रैजुघाट परियोजना , हजारीबाग	124.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	124.70																							
42	विशेष मू-अर्जन पदा0, देवर	117.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	117.75																							

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अति0)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी०के०विवाशी)
अपर मुख्य सचिव

05
11-04-18

अतिरिक्त सचिव

अतिरिक्त सचिव

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष 2018-2019	विरुद्ध शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते										विरुद्ध शीर्ष-02- यात्रा खर्च										विरुद्ध शीर्ष-03- प्रशासनिक खर्च										विरुद्ध शीर्ष-04- मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07- अन्य खर्च		राशि लाख रुपये में	
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलओडीसी0 70110	देशीय यात्रा खर्च	कार्यालय खर्च	किराया, दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विरुद्ध खर्च	मोटरगाड़ियां खर्च एवं	विविध प्रसार	कुल योग	अभिवृत्ति																						
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																						
	कार्यालय का नाम	49S270103001 070101	49S2701030010 70110	49S270103001 070112	49S2701030010 70213	49S27010300 1070315	49S270103001 070316	49S270103001 070323	49S270103001 070333	49S27010300 1070334	49S270103001 070337	49S270103001 070442	49S2701030010 70760																								
43	विशेष मू-अर्जन परा10 मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	115.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	115.70																							
44	विशेष मू-अर्जन परा10, राँची	202.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	202.75																							
45	सिंचाई प्रमंडल, कुंजहित	190.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40																							
47	सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, सिंचि-महागंगा	160.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.40																							
48	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	196.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	196.75																							
49	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	162.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.40																							
50	सिंचाई प्रमंडल, दुमका	180.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	180.45																							
51	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	224.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	224.70																							
52	सिंचाई प्रमंडल, नाला	103.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	103.45																							
53	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	102.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	102.45																							
54	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा	138.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.40																							
55	सिंचाई प्रमंडल, सिकरिया	125.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.40																							
56	सिंचाई प्रमंडल, सं0-1,बरहट	140.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40																							
57	सिंचाई प्रमंडल, सं0-2,जामताड़ा	132.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40																							
58	सिंचाई प्रमंडल सं-2, सिकरिया	142.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	142.75																							
59	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर	156.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	156.75																							
60	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची	181.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	181.75																							
	आवृत्त का योग	7756.60	0.00	0.00	11.00	12.90	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	13.00	0.00	7795.55																							

आवृत्त राशि -

रुपये सतहतर करोड़ पंचानवे लाख पचपन हजार मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव(अभिनो)(रमेश कुमार दहो)
विशेष सचिव(डी.के.विवासी)
अपर मुख्य सचिव